

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

शिकिया



(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिदिर 2025 कैम्प स्थल -

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 321/25 वायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27.9.2025

रिपोर्ट

क्र.सं..	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	शिकिया	324	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसारीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम शिकिया प.ह. शिकिया खतासं. 324 में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर पदवार [Signature]	हस्ताक्षर पदवार [Signature]		हस्ताक्षर पदवार [Signature]
			हस्ताक्षर पदवार [Signature]	हस्ताक्षर पदवार [Signature]		हस्ताक्षर पदवार [Signature]

प्रतिलिपि पालनाशुभ:-

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)

1. पदवारी पदवार मण्डल शिकिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन